

# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,  
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर-302017

दूरभाष नं. 0141-2701596

E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/शाला सम्बलन/2019-20/4410

दिनांक : 5 / 8 / 2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,  
समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,  
समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

**विषय :-**शाला सम्बलन अभियान के नवीनतम मानदण्डानुसार शाला सम्बलन एवं शाला सम्बलन प्रपत्र को अपलोड करने के संबंध में दिशा निर्देश।

**सन्दर्भ :-**पत्र क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणवत्ता/विद्यालय अवलोकन /2019-20 /3476 दिनांक 12.07..2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत एव सन्दर्भित पत्रानुसार सत्र 2019-20 में राज्य के समस्त राजकीय उमावि/मावि/उप्रावि/प्राथमिक विद्यालयों के सम्बलन हेतु पूर्व में संचालित विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में कतिपय महत्वपूर्ण बिन्दु सम्मिलित करते हुये संभाग/जिला/ब्लॉक एवं पंचायत स्तरीय अधिकारियों के लिए प्रतिमाह अवलोकन/सतत् शैक्षिक सम्बलन के मानदण्ड निर्धारित किये गये है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु संचालित किये जाने वाले इस वृहद् एवं सघन सम्बलन कार्यक्रम को "शाला सम्बलन अभियान" नाम दिया गया है।

राज्य में शिक्षा विभाग के संभाग/जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर के अधिकारियों द्वारा समस्त राजकीय विद्यालयों के सम्बलन हेतु "शाला सम्बलन प्रपत्र" (संलग्न: परिशिष्ट-1) विकसित किया गया है। यह शाला सम्बलन प्रपत्र समग्र शिक्षा के एकीकृत पोर्टल (rajshaladarpan.nic.in) पर लॉगिन करने से विद्यालय के चयन उपरान्त डाउनलोड किया जा सकेगा। डाउनलोड किया गया शाला सम्बलन प्रपत्र पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार Pre-Filled आयेगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2019-20 में सन्दर्भित पत्र की अनुपालना हेतु विकसित शाला सम्बलन प्रपत्र में निर्धारित मानदण्डानुसार शाला सम्बलन कर प्रपत्र अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

शाला सम्बलन प्रपत्र डाउनलोड एवं अपलोड करने हेतु दिशा-निर्देश -

1. जिस विद्यालय के भ्रमण हेतु योजना बनाई गई है, सम्बलन से पूर्व उस विद्यालय का शाला सम्बलन प्रपत्र समग्र शिक्षा अभियान के एकीकृत पोर्टल (rajshaladarpan.nic.in) पर स्वयं के लॉगिन से डाउनलोड एवं प्रिन्ट किया जावे, तत्पश्चात शाला सम्बलन किया जावे।



2. सत्र 2019-20 में शाला सम्बलन हेतु विकसित शाला सम्बलन प्रपत्र पूर्णतः समग्र शिक्षा के एकीकृत पोर्टल (rajshaladarpan.nic.in) पर लॉगिन से विद्यालय चयन के उपरान्त ही डाउनलोड किये जा सकेंगे। डाउनलोड किया गया शाला सम्बलन प्रपत्र पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं के साथ **Pre-Filled** आयेगा। उक्त शाला सम्बलन प्रपत्र को प्रिन्ट कर हार्ड कॉपी में लेकर सम्बन्धित विद्यालय का सम्बलन किया जा सकेगा।
3. शाला सम्बलन प्रपत्र डाउनलोड करने हेतु समग्र शिक्षा के एकीकृत पोर्टल पर लॉगिन पश्चात कार्यालय "शाला सम्बलन (समस्त विद्यालय)" का चयन कर "शाला सम्बलन प्रपत्र (सत्र 2019-20) डाउनलोड" पर क्लिक करें। तत्पश्चात जिस विद्यालय का सम्बलन किया जाना है उस विद्यालय का सम्बन्धित जिला एवं ब्लॉक का चयन करें। चयन करने के उपरान्त "Show School" पर क्लिक करें।
4. "Show School" पर क्लिक करने के उपरान्त सम्बन्धित विद्यालयों की सूची प्रदर्शित होगी। उक्त प्रदर्शित सूची में से Download कॉलम से "Download Format" पर क्लिक करके शाला सम्बलन प्रपत्र को डाउनलोड करें। इस प्रकार सम्बलन से पूर्व शाला सम्बलन प्रपत्र डाउनलोड कर निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सम्बलन कार्य किया जा सकेगा।
5. किसी सम्बलनकर्ता अधिकारी द्वारा भ्रमण हेतु शाला सम्बलन प्रपत्र डाउनलोड किया गया है तो उस विद्यालय के सम्बलन हेतु पुनः शाला सम्बलन प्रपत्र अन्य किसी सम्बलनकर्ता अधिकारी द्वारा डाउनलोड नहीं किया जावे। इस हेतु पोर्टल पर एक सन्देश भी सूचनार्थ प्रदर्शित होगा। जिन विद्यालयों के सम्बलन हेतु प्रपत्र पूर्व में अन्य सम्बलनकर्ता अधिकारी द्वारा डाउनलोड किये गये हैं उन्हें सूची में हल्के हरे रंग से दर्शाया गया है।
6. शाला सम्बलन के पश्चात शाला सम्बलन प्रपत्र आवश्यक रूप से पोर्टल पर अपलोड किया जावे। प्रपत्र अपलोड करने के उपरान्त ही शाला सम्बलन मानदण्डों की पालना होगी।
7. शाला सम्बलन प्रपत्र पोर्टल पर अपलोड करने हेतु लॉगिन पश्चात कार्यालय - "शाला सम्बलन (समस्त विद्यालय)" का चयन कर "शाला सम्बलन प्रपत्र भरे" पर क्लिक करें। तत्पश्चात "शाला सम्बलन प्रपत्र भरे" पर क्लिक करें।
8. कक्षा 1 से 8 विषय - हिन्दी, अंग्रेजी व गणित में अध्ययनरत छात्रों के शैक्षिक स्तर की जांच हेतु पूर्व में निर्मित टूल्स का उपयोग किया जावे। संलग्न टूल्स के अनुसार प्रत्येक सम्बलनकर्ता शाला सम्बलन के दौरान नियमानुसार न्यूनतम दो विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर की जांच किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
9. शाला सम्बलन प्रपत्र के भाग संख्या-6 में सम्बलनकर्ता द्वारा विद्यालय में आवश्यक सुधार हेतु निर्देशों को श्रेणीवार अंकित किया जाना है। इस हेतु निर्धारित सभी 15 बिन्दुओं को उत्कृष्ट/अच्छा/ सन्तोषप्रद/सुधार की आवश्यकता अनुसार श्रेणी क्रमशः 1/2/3/4 दी जावे।
10. शाला सम्बलन के दौरान सम्बन्धित विद्यालय की एक फोटो (जिसमें समय व दिनांक अंकित हो) ऑनलाइन माड्यूल के अन्तिम भाग में आवश्यक रूप से अपलोड किया जावे। ध्यान दें - फोटो का साइज 100KB से ज्यादा न हो, फोटो सिर्फ JPEG फॉर्मेट में हो।
11. समस्त राजकीय उमावि./मावि./उप्रावि./प्राथमिक विद्यालयों के सम्बलन हेतु इस शाला सम्बलन प्रपत्र को उपयोग में लिया जावे।



12. सत्र 2019-20 में संचालित किये गये विभिन्न नवाचारों जैसे - राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल, सामुदायिक बालसभा, शाला सम्बलन पंजिका संधारण, विद्यालय परिसर में लगाये गये वृक्ष एवं पौधों की संख्या इत्यादि की सूचना मॉनीटरिंग हेतु शाला सम्बलन प्रपत्र के माध्यम से संधारित की जा रही है। अतः उक्त सभी सूचनाओं को गम्भीरता से भरे।

13. किसी भी तकनीकी सहयोग एवं जानकारी हेतु सर्व प्रथम अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जिला कार्यालय से सम्पर्क किया जावे। तत्पश्चात राज्य कार्यालय समसा, जयपुर स्थित गुणवत्ता प्रकोष्ठ दूरभाष नं.- 0141-2701596 पर सम्पर्क करें।

- संलग्न - 1. "शाला सम्बलन प्रपत्र" समझने हेतु नमूना प्रारूप।  
2. कक्षा 1 से 8 विषय - हिन्दी, अंग्रेजी व गणित में अध्ययनरत छात्रों के शैक्षिक स्तर की जांच हेतु निर्मित टूल्स।  
3. नियमित शाला सम्बलन हेतु बून्दी जिले द्वारा तैयार की गई कार्य योजना - Best Practices (आपके सन्दर्भ के लिए)



(प्रदीप कुमार बोरड)


विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं  
आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/शाला सम्बलन/2019-20/4410

दिनांक : 5 / 8 / 2019

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. विशिष्ट सचिव, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, निदेशालय बीकानेर को भेजकर लेख है कि आप अपने कार्यालय के समस्त सम्बलनकर्ता अधिकारियों को नवीनतम शाला सम्बलन प्रपत्र में शाला सम्बलन हेतु आदेशित किया जाना सुनिश्चित करावें।
6. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीईआरटी उदयपुर को भेजकर लेख है कि आप अपने कार्यालय के समस्त सम्बलनकर्ता अधिकारियों को नवीनतम शाला सम्बलन प्रपत्र में शाला सम्बलन हेतु आदेशित किया जाना सुनिश्चित करावें।
7. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम एवं द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. जिला प्रभारी अधिकारी, समस्त जिले।
10. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा, समस्त ब्लॉक।
11. पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त।
12. कार्यालय प्रति।

  
(एम.आर. बगड़िया)

अति. राज्य परियोजना निदेशक